3. अरस्तू (384 ई.पू - 322 ई.पू.)

About अरस्तू

→ अरस्तू को राजनीतिशास्त्र का जनक / पिता माना जाता है

→ जन्म → मैसीडोनिया के नगर 'स्टेगिरा' में हुआ जो एथेंस के उत्तर में 200 मील की दूरी पर बसा था

→ अरस्तू प्लेटो का शिष्य तथा सिकन्दर महान का गुरु था।

→ अरस्तू ने 'लियियम' नामक शैक्षणिक संस्था भी खोली

→ अरस्तू का पिता मैसीडोन के राजा (यानि सिकन्दर के पिता) का राजवैद्य था

→ अध्ययन पद्धति
- → 'सोद्देश्यात्मक पद्धति' (teleological method)
- → 'द्वंद्वात्मक पद्धति' (वाद-विवाद करना)
- → 'आगमनात्मक पद्धति' (विशेष से सामान्य की ओर निष्कर्ष निकालना)
- → विश्लेषणात्मक पद्धति
- → मनोवैज्ञानिक पद्धति

Note → स्वर्णिम मध्यमार्ग का सिद्धांत → अरस्तू के चिंतन में प्रत्येक संकल्पना में 'मध्यम मार्ग' का विचार प्रभावी है।

Note-2 (V.V. Imp.) ⇒ पश्चिमी परम्परा में अरस्तू से पहले सारा ज्ञान दर्शनशास्त्र के विचार क्षेत्र में आता था। पहली बार अरस्तू ने पृथक-2 ग्रंथ लिखे।

- विख्यात ग्रंथ 'पॉलिटिक्स' राजनीतिशास्त्र के अंतर्गत राजनीति की समस्याओं का विस्तृत विवेचन किया।

- अरस्तू ने राजनीतिशास्त्र को 'सर्वोच्च विज्ञान' या 'परम विद्या' की संज्ञा दी

प्रमुख ग्रंथ (अरस्तू के)
- → 'पॉलिटिक्स' (राजनीतिशास्त्र)
- → 'एथिक्स' (नीतिशास्त्र)
- → 'रिटॉरिक' (अलंकारशास्त्र)

राजनीति शास्त्र का स्वरूप

→ अन्य सब विद्याओं के साध्य अंततोगत्वा राजनीतिशास्त्र के साध्य में विलीन हो जाते हैं

→ अरस्तू के अनुसार राजनीति शास्त्र का स्वरूप - मनुष्य एक नैतिक प्राणी के नाते राज्य के अंतर्गत सद्जीवन की प्राप्ति के लिए जो-जो कुछ करता है, जिन-जिन गतिविधियों में भाग लेता है या फिर जो नियम, संस्थाएं और संगठन स्थापित करता है, वे सब राजनीति के विचार क्षेत्र में आते हैं

राजनीति शास्त्र की अध्ययन पद्धति

अरस्तू ने राजनीतिशास्त्र के अध्ययन के लिए "अनुभवमूलक पद्धति" को बढ़ावा दिया इसके साथ "तुलनात्मक पद्धति" को भी मिला दिया

→ अध्ययन का Aim → तत्कालीन शासन प्रणालियों की अस्थिरता की समस्या का पता लगाना

विश्लेषण → 158 नगर-राज्यों के इतिवृत तैयार किए

शासन प्रणाली का वर्गीकरण

शासन प्रणाली का शुद्ध रूप	शासन प्रणाली का भ्रष्ट रूप
• राजतंत्र (एक व्यक्ति का शासन)	• निरंकुश तंत्र
• कुलीनतंत्र (कुछ लोगों का शासन)	• गुटतंत्र (धनिक तंत्र)
• बहुतंत्र (बहुमत का शासन) या ↳ संवैधानिक शासन तंत्र	• लोकतंत्र

वर्गीकरण के दो मुख्य आधार

1) क्या शासन को एक व्यक्ति चलाता है, इने-गुने कुछ व्यक्ति चलाते हैं, या बहुत सारे व्यक्ति चलाते हैं।

2) क्या शासक राज्य के हित को ध्यान में रखकर शासन चलाते हैं या केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए सत्ता का प्रयोग करते हैं।

अरस्तु के अनुसार शासन प्रणालियों का परिवर्तन चक्र

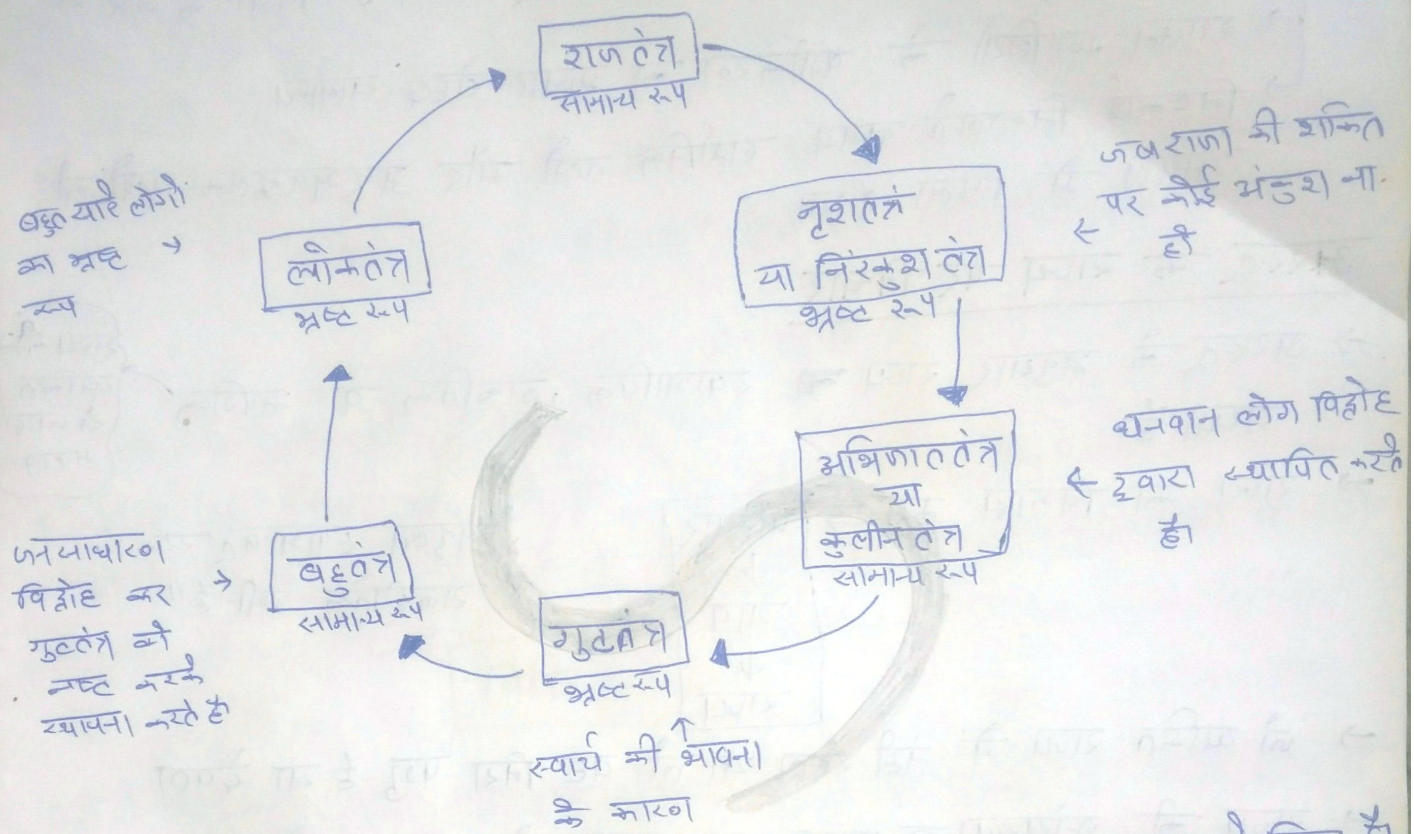

Note → अरस्तू की लोकतंत्र की परिभाषा लोकतंत्र की आधुनिक धारणा से भिन्न है।

Note → अरस्तू के अनुसार "सर्वोत्तम व्यवहारिक शासन प्रणाली"
⇓
'पॉलिटी' (Polity) शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ रूप होगी
↳ जो दो प्रकार की शासन प्रणालियों का मध्यम मार्ग होता है। अर्थात लोकतंत्र व गुटतंत्र शासन प्रणाली का सम्मिलित रूप है।

कुछ किताबों में "मिश्रित संविधान" की संकल्पना बताई गई है जिनमें बहुतंत्र व अभिजाततंत्र का समन्वय बताया है
विद्यार्थी दोनों ध्यान में रखें।

अनुभवमूलक पद्धति

इसमें ज्ञानेन्द्रियों (आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा) के अनुभव के आधार पर कोई निष्कर्ष निकाला जाता है

तुलनात्मक पद्धति

इसमें अध्ययन सामग्री की तुलना करके कोई निष्कर्ष निकाला जाता है।

अरस्तू तुलनात्मक अध्ययन की सीमाएं

- सीमित उद्देश्य - केवल स्थिर और अस्थिर शासन प्रणालियों के बारे में पता लगाना।
- शासन प्रणालियों के वर्गीकरण का आधार बेहद सामान्य
- निष्कर्ष निकालते समय दार्शनिक तत्वों और अनुभवमूलक तत्वों को आपस में मिला दिया

अरस्तू के राज्य पर विचार

→ अरस्तू के अनुसार राज्य स्वाभाविक, प्राकृतिक व सांगिक संस्था है।

(राज्य को व्यक्ति से ज्यादा महत्व)

→ राज्य का विकास क्रम → परिवार ↓ गांव ↓ राज्य

"मनुष्य स्वाभावत एक राजनीतिक प्राणी है"

→ जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता, या तो वह निरा पशु है या देवता

→ राज्य की जनसंख्या व आकार ना ज्यादा हो ना कम हो

→ व्यक्ति का पूर्ण नैतिक विकास राज्य में ही संभव है।

परिवार पर विचार

परिवार - पति-पत्नी व दासों के संयोग से बनता है।
परिवार में मुखिया पति होता है क्योंकि उसमें विवेक सर्वोच्च होता है।
परिवार का उद्देश्य भौतिक आवश्यकताओं का उपबंध करना है जबकि राज्य नैतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करता है।

Note → प्लेटो के अनुसार → मुखिया का शासन, राजा का नागरिकों से समान होता है अरस्तू ने इसका खंडन किया।

→ अरस्तू के अनुसार → 'राज्य का नागरिकों पर शासन, मुखिया का परिवार पर शासन से भिन्न होता है क्योंकि पति का पत्नी पर शासन स्थायी है नागरिकों ~~पर राज्य पर नहीं~~। पर राजा का नहीं।

दास प्रथा पर विचार →

अरस्तू ने 'दास प्रथा' का समर्थन किया। उसके अनुसार वे व्यक्ति

दास है जो विवेक शून्य है।

- दास मनुष्य की जीवित संपत्ति व परिवार का भाग होते हैं।
- यह प्रकृति का नियम है कि श्रेष्ठ अधीनों पर शासन करें अतः दास प्रथा प्राकृतिक है।
- दास प्रथा, दासों व स्वामी दोनों के लिए उपयोगी है।
- अरस्तू ने 'नैतिकता का विकास' होने पर दासों को छोड़ने का समर्थन किया
- अरस्तू ने युद्ध बंदियों, यूनानियों को दासों की श्रेणी में नहीं रखा बल्कि बर्बर जातियों को इस श्रेणी में रखा
- दास का बेटा, दास होगा यह आवश्यक नहीं।
- दास केवल घरेलू कार्यों में सहायता करेंगे, उत्पादन कार्यों में नहीं

विधि का शासन

प्लेटो के अनुसार → वैसे तो विधि के शासन की तुलना में सच्चे ज्ञान से संपन्न लोगों का पूर्णसत्तावादी शासन उत्तम है, परंतु साधारण लोगों के लिए पूर्णसत्तावादी शासन की तुलना में विधि का शासन वरेण्य (उत्तम) है

अरस्तू के अनुसार → यथार्थ जगत में केवल साधारण लोगों का शासन ही पाया जाता है। अतः व्यवहारिक दृष्टि से विधि का शासन ही उत्तम है। अपनी कृति 'Politics' में उसने कहा - जब व्यक्ति विधि व न्याय से परिपूर्ण होता है तो वह सर्वोत्तम होता है उससे अलग होने पर वह निकृष्ट बन जाता है

अरस्तू की नागरिकता की संकल्पना

अरस्तू के अनुसार → वे व्यक्ति नागरिक हैं जो राज्य के न्यायिक व प्रशासनिक कार्यों में भाग लेते हैं अपना योगदान देते हैं।

निम्न लोगों की नागरिकता नहीं होगी

- महिलाएं
- बूढ़े व बच्चे
- दास, शिल्पी, किसान, विदेशी

अरस्तू की नागरिकता कर्तव्य पर आधारित है।

Note → आधुनिक नागरिकता का मूल आधार, अधिकार है यह जन्म से किसी भू-भाग में निवास करने से सभी को प्राप्त हो जाते हैं।

अरस्तू के विचार में नागरिकता केवल यूनानवासियों का गुण थी वंहा के स्वतंत्रजन ही इसके उपयुक्त पात्र थे।

अरस्तू के स्त्री पर विचार

अरस्तू के विचार में स्त्री स्वाभावतः पुरुष से हीन होती है। अतः पुरुष की अधीनता में ही उसका कल्याण है। पुरुष की शोभा आदेश देने में है, स्त्री की शोभा उनका पालन करने में है।

जबकि इसके विपरीत प्लेटो ने स्त्री व पुरुष की समान योग्यता को स्वीकार करते हुए प्रतिभाशाली स्त्रियों को पुरुषों के साथ 'संरक्षकों' की श्रेणी में रखने का समर्थन किया था।

Note → आचार्य मनु के अनुसार – "न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति" अर्थात स्त्री स्वतंत्र रहने योग्य नंही है।

माल के युग में अरस्तू का यह विचार रूढ़िवादी और पतनोन्मुखी प्रतीत होता है।

अरस्तू का संम्पति पर विचार

अरस्तू के अनुसार संम्पति अर्जन दो प्रकार से होता है

① प्राकृतिक तरीके से
⇓
मछली पालन करना, कृषि कार्य करना आदि संपति अर्जन के प्राकृतिक तरीके हैं

② शोषण की विधि से
⇓
व्यापार और वाणिज्य से प्राप्त संपति

Note → अरस्तू 'प्राकृतिक विधि' द्वारा अर्जित संपति को ही वैध मानता है

अरस्तू संपति के साम्यवाद का समर्थक नंही है

संपति वितरण का सबसे अच्छा तरीका → व्यक्तिगत संपति और सामूहिक उपयोग

अर्थात

संपति को निजी स्वामित्व में रहना चाहिए परंतु उसका उपयोग सबके लिए सुलभ होना चाहिए।

अरस्तू का न्याय सिद्धांत → दो प्रकार का न्याय

P-80

वितरण न्याय	परिशोधनात्मक / प्रतिवर्ती / प्रतिकारात्मक न्याय
↓ सम्मान या धन-संपदा का वितरण	↓ परस्पर लेन-देन का नियमन, अपराध का दंड देना
↓ विधायक का विचार क्षेत्र	↓ न्यायधीश का विचार क्षेत्र
↓ प्रत्येक को अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार (आदर्श राज्य में सद्गुण को योग्यता का आधार माना जाएगा)	↓ पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति सबके साथ बिना भेदभाव के समान बर्ताव (भंग हुए संतुलन को फिर से स्थापित किया जाए)

Note →

दोनों प्रकार के न्याय में अरस्तू 'यथास्थिति' का समर्थक सिद्ध होता है वितरण न्याय का स्त्रोत ही यथास्थिति है तथा प्रतिवर्ती न्याय यह मांग करता है कि वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन होने पर 'यथास्थिति' फिर से स्थापित कर दी जाए।

* एक बनी-बनाई व्यवस्था के पोषक के नाते अरस्तू को रूढ़िवाद का मूल प्रवर्तक माना जाता है।

रूढ़िवाद → यह विचार पुराने व आज़माए हुए विचारों और संस्थाओं को कायम रखने का समर्थन करता है तथा चिरकाल से प्रचलित सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था के प्रति सम्मान को बढ़ावा देता है।

अरस्तू के क्रांति पर विचार

→ अरस्तू राजनीतिक क्रांति या विद्रोह के विरुद्ध है

→ अपनी कृति 'Politics' के अंतर्गत उसने किसी भी "आमूल-परिवर्तनवाद" का विरोध किया है।

आमूल-परिवर्तनवाद → यह विचारधारा वर्तमान व्यवस्था से असंतुष्ट अनुभव करती है, प्रचलित संस्थाओं को ध्वस्त करना चाहती है तथा बिल्कुल नई व्यवस्था स्थापित करने को प्रेरणा देती है

→ अरस्तू के अनुसार → क्रांति के दो अर्थ है।

↓

① संविधान या शासन प्रणाली में परिवर्तन ही क्रांति है

example → राजतंत्र → गुलतंत्र → लोकतंत्र में परिवर्तन ही क्रांति है।

② सत्ता एक पक्ष से दूसरे पक्ष में चले जाना क्रांति है।

Note → आज के युग में असांविधानिक तरीके से सत्ता-परिवर्तन होने पर उसे क्रांति की संज्ञा दी जाती है जबकि सांविधानिक विधि से सत्ता के परिवर्तन को क्रांति नहीं कहते।

→ अरस्तू के अनुसार → क्रांति का कारण

↓

"वर्तमान स्थिति से असंतोष की भावना क्रांति को जन्म देती है"

→ असंतोष का कारण → विषमता तथा अन्याय की अनुभूति है

example → दरिद्र व संपन्न वर्गों में समाज के विभाजन की प्रक्रिया

→ चुनाव षड्यंत्र, राजनीतिक भ्रष्टाचार से कुछ व्यक्तियों को अनुचित महत्व मिल जाता है जिससे अन्य लोग 'अन्याय' की अनुभूति होती है।

क्रांति निवारण के उपाय

1. अरस्तू के अनुसार, क्रांति रोकने का सबसे उपयुक्त उपाय 'मध्यम वर्ग का शासन' है।
2. संविधान का रूप समस्त नागरिकों की सहमति पर आधारित हो
3. नागरिकों की शिक्षा संविधान की भावना के अनुरूप हो
4. छोटे-2 परिवर्तनों के प्रति सतर्क रहना ताकि 'यथास्थिति' को भंग करने वाली प्रवृत्तियों को रोका जाए।
5. समाज में विषमता कम हो
6. व्यक्ति या वर्ग आवश्यकता से अधिक संपत्ति अर्जित ना कर सके
7. शासक धर्म-परायण हो ताकि जनता यह अनुभव करे कि उनके हाथों से अन्याय नहीं हो सकता।